संख्या–2667/29–06–10–89 सा/09

प्रेषक,

डा0 जे.एन. चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद विभाग

लखनऊ 24 नवम्बर, 2010

विषयः नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई–फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदो में विभाग की विभिन्न सेवाओं को कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से पंजीयन कराये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रमीण अँचलों में स्थापित किये जा रहे कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/ लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से खाद्य एव रसद विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्नलिखित सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(अ) नया राशन कार्ड निर्गत किया जाना
(ब) राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाना
(स) राशन कार्ड में संशोधन किया जाना
(द) राशन कार्डो का समर्पण किया जाना।

2. उक्त सेवाओं के लिये प्रकिया निम्नवत् है:–

(अ) नया राशन कार्ड निर्गत करना:–

क. आवेदक को अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर)/लोकवाणी केन्द्र पर जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप (जो आपरेटर के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेगा) पर नया राशन कार्ड निर्गत करने के लिए अनुरोध करना होगा।

ख. आवेदक को अपनी पहचान एवं निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग. राशन कार्ड एवं उससे सम्बन्धित जांच पत्र के मुद्रण का कार्य जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा और जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा खण्ड विकास कार्यालयों को उनकी मांग के अनुरूप राशन कार्ड/जांच पत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

घ. जनसेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त होने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

ङ. आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को जनसेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।

च. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक से प्रविष्टियों की पुष्टि करायी जायेगी।

एस0 आई0 सी0 (एस0 आई0 ओ0)
लखनऊ
डायरी संख्या 4184
दिनांक 26/11/10

छ. आवेदक द्वारा फार्म में लिखित सभी प्रविष्टियों की पुष्टि की जायेगी एवं फार्म की प्रविष्टियाँ सही पाये जाने पर उस पर आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा अथवा अंगूठा का निशान लगायेगा।

ज. जनसेवा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु फार्म समक्ष अधिकारी (नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा जो उसका निस्तारण करेंगे।

झ. प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नक अभिलेखों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच करके नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

ञ. ये सक्षम अधिकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं प्लेटफार्म द्वारा उपलब्ध फार्म में समय–समय पर आवेदन की टिप्पणी आवंटित करते रहेंगे जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सके।

ट. प्राप्त पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय/जारी राशन कार्ड जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

ठ. जारी किये गये नये राशन कार्ड सक्षम कार्यालय (शहरी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी) से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस.सी.ए. के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा। राशन कार्ड प्राप्त करते समय उसका निर्धारित मूल्य जमा किया जायेगा।

ड. तदुपरान्त आवेदक द्वारा राशन कार्ड की निर्धारित दर का भुगतान करने के उपरान्त जनसेवा केन्द्र द्वारा राशन कार्ड आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

ढ़. बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय राशन कार्डों का निर्गमन निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ही किया जायेगा और किसी भी दशा में लक्ष्य से अधिक बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्ड निर्गत नहीं किये जायेंगे।

(ब) <u>राशन कार्ड का नवीनीकरण/संशोधन/अभ्यर्पण</u>

क. राशन कार्ड के नवीनीकरण अथवा संशोधन अथवा अभ्यर्पण हेतु आवेदक जनसेवा केन्द्र पर जाकर निर्धारित प्रारूप में सूचनायें एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्र/दस्तावेज जनसेवा केन्द्र आपरेटर को उपलब्ध करायेगा।

ख. जनसेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त होने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

ग. जनसेवा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु फार्म आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी (नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा जो उसका निस्तारण करेंगे।

घ. प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नक अभिलेखों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच करके नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

च. राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं संशोधन के लिए जनसेवा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से फार्म भेजने के उपरान्त 7 दिनों के अन्दर ही पुराने राशन कार्ड की मूल प्रति जनसेवा केन्द्र के संचालक द्वारा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

छ. जनसेवा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु फार्म आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी (नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा जो उसका निस्तारण करेंगे।

ज. प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच करके नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

झ. ये सक्षम अधिकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं प्लेटफार्म द्वारा उपलब्ध फार्म में समय—समय पर आवेदन की टिप्पणी आवंटित करते रहेंगे जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सके।

ञ. प्राप्त पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय/जारी राशन कार्ड जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

ट. जारी किये गये नये राशन कार्ड सक्षम कार्यालय (शहरी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी) से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस.सी.ए. के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा। राशन कार्ड प्राप्त करते समय उनका निर्धारित मूल्य जमा किया जायेगा।

ठ. तदुपरान्त आवेदक द्वारा राशन कार्ड की निर्धारित दर का भुगतान करने के उपरान्त जनसेवा केन्द्र द्वारा राशन कार्ड आदेवक को उपलब्ध कराया जायेगा।

3— उपर्युक्त व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका मात्र सरलीकरण करने के लिए की गई है। राशन कार्ड निर्गत करने हेतु अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी। खण्ड विकास अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी अनिवार्य रूप से सभी मामलों की विधिवत जाँच करने के उपरान्त निर्णय लेंगे तथा जनसेवा केन्द्र के आवेदक को निर्णय से अवगत करायेंगे। परियोजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को ए.पी.एल./बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्ड का निर्गमन निम्नलिखित समयसीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगाः—

क्र.सं.	मद	निर्धारित समय सीमा
1—	ए.पी.एल./बी.पी.एल./अन्त्योदय नये राशन कार्ड का निर्गत किया जाना	10 दिन
2—	ए.पी.एल./बी.पी.एल./अन्त्योदय राशन कार्डों में संशोधन समर्पण एवं नवीनीकरण	10 दिन

4— ई गवर्नेन्स परियोजना के अन्तर्गत जिन जिलों (सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोरखपुर, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्धनगर) में ई—डिस्ट्रिक्ट परियोजना चल रही है वहां पर ई—डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की व्यवस्था पूर्वनिर्धारित ही चलती रहेगी। प्रदेश के 06 जनपदों यथा—गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पायलट ई—डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत 'खाद्य एवं रसद विभाग' के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित सेवाएं इलेक्ट्रानिक विधि से पूर्व में ही प्रदान की जा रही है जिसके लिये प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। अतः इन 06 जनपदों में उक्त सम्बन्धित सेवाएं पूर्व की भाँति ई—डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेगी। अवशेष जनपदों में यह सेवा उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रानिक विधि से उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत संदर्भित सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी।

5— उपर्युक्त प्रकिया हेतु आवश्यंक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हों। ऐसे अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिये जनपद स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुये सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित कराते हुये एनआईसी को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) से सम्पर्क करना होगा। सेवा से सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही करनी होगी जिसके लिये सम्बन्धित जनपद के डीआईओ, एनआईसी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 जे0एन0चैम्बर)
प्रमुख सचिव

संख्या— 2667 (1)/29—06—2010 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ.प्र.।
4. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई—गवर्नेन्स, उ.प्र., लखनऊ।
5. श्री एस.बी. सिंह, उपमहानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
6. मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि. (आई.एल.एण्ड एफ.एस. लि.), लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डी0 के0 गुप्ता)
विशेष सचिव